न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–16/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/16)

1. मोती पुत्र लादू
2. गिरधारी पुत्र लादू
3. रंगलाल पुत्र लादू
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती छोटी पत्नी स्व0 श्री नारायण
2. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नारायण
3. मेवा पुत्र किशना
4. ओम पुत्र किशना
5. श्रीमती किशनी पत्नी किशना
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भांवता जरिए शाखा प्रबंधक।
7. उप–पंजीयक, पीसांगन।
8. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन।

रेस्पोडेंट्स

9. गोविन्द पुत्र लादू
10. हरलाल पुत्र लादू
11. जेती पत्नी छोटू
12. मांद पुत्र छोटू
13. श्रवण पुत्र लादू
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 राजस्व वाद संख्या 61/2019

उपस्थितः–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 9 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–08.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.11.2019 को निर्णय पारित करते हुए निर्णय व डिक्री जारी की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 9 से 13 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं हुई। जब दिनांक 14.12.2023 को तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.11.2019 की अनुपालना में बंटवारा कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिनांक 19.12.2023 को उपस्थित होने हेतु नोटिस प्रदान किया गया जो प्रार्थीगण को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। जिस पर सभी खातेदारान ने एकत्र होकर तहसील कार्यालय में उक्त विभाजन आदेश बाबत् जानकारी चाही तो उन्हें बताया गया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन से उक्त आदेश की नकल प्राप्त की जा सकती है जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 3.1.2024 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.1.2024 को नकल प्रदान की गयी तत्पश्चात कानूनी राय लेकर फीस आदि का प्रबन्ध कर अविलम्ब अजमेर आकर अभिभाषक से मिले जिन्होंने उक्त अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण

की विधिवत तामीली नहीं होने के बावजूद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी जो विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 20.11.2019 प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.11.2019 को एक ओर तो प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई दूसरी ओर उसी दिनांक को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी जो स्पष्ट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश केवल और केवल वादीगण को अनुचित लाभप्रदान करने की नीयत से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ताईद किये जाने हेतु साक्ष्य ग्रहण नहीं की गयी तथा ना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर किसी प्रकार के एग्जीबिट अंकित करवाये गए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से उक्त प्रकरण को निस्तारित किया गया है वह एक समरी प्रोसीडिंग की तरह बिना किसी साक्ष्य एवं सुनवाई के बिना विधिक प्रावधानों का अनुसरण किये पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा मूल रूप से चौसाला जमाबन्दी में दर्ज रिकार्डेड खातेदार जीवण व लादू पिसरान बालू की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसमें अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स जो कि लादू पुत्र बालू के विधिक वारिसान है का वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा निहित करता है परन्तु राजस्व ऐजेन्सी द्वारा वर्किंग जमाबन्दी मुर्तिब करते समय बिना विधिक विभाजन के अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादग्रस्त आराजीयात के कुछ खसरा नम्बर को तन्हा रूप से जीवण पुत्र बालू के दर्ज कर दी गयी इसी अनुसार हाल जमाबन्दी मुर्तिब की गयी जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा वाद पत्र की सारणी अ में स्वयं का 1/4 हिस्सा एवं सारणी–ब में 1/8 हिस्सा दर्शाते हुए विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया गया जबकि वादीगण का वाद पत्र की सारणी अ में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में 1/8–1/8 एवं सारणी–ब में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में 1/16–1/16 हक हिस्सा निहित करता है जो प्रतिवादीगण को वाद पत्र में पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही सिद्ध हो सकता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर वाद को एक समरी प्रोसीडिंग की तरह ट्रीट कर वाद को शीघ्रातिशीघ्र वादीगण को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वाद को निर्णित फरमाते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। यहां यह अंकित करना उचित एवं पर्याप्त होगा कि वादीगण द्वारा दिनांक 13.7.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 170 को जानबूझ कर विभाजन नहीं करवाने की मंशा से विलोपित करवाने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड की जांच किये वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र से उक्त खसरा नम्बर 170 को तर्क कर बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो पूर्ण रूप से अविधिक एवं विभाजन के विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में जानबूझ कर केवल उन्हीं खाता भूमियों को अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण रूप से वर्किंग जमाबन्दी में जीवण वल्द बालू के तन्हा खातेदारी में दर्ज हो गयी थी जिससे वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में निहित हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त हो गयी थी जबकि वादीगण अगर वास्तविक रूप से न्यायिक विभाजन चाहते हैं तो वे उक्त आराजीयात के अलावा अन्य खातेदारी भूमियों को भी वाद पत्र में सम्मिलित कर वाद विभाजन प्रस्तुत करते। इस प्रकार वादीगण द्वारा सम्पूर्ण खातेदारी भूमियों का विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं कर केवल और केवल त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज आराजी का ही वाद प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद वास्ते विभाजन प्रस्तुत किया है वह स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.11.2019 पूर्ण रूप से अपीलांट्स के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात सिद्ध करती है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही

परिवार के सदस्य हैं तथा जीवण व लादू पिसरान बालू के विधिक वारिसान हैं जो अपने पूर्वजों से प्राप्त खातेदारी आराजीयात पर मनबंट से काबिज काश्त चले आ रहे हैं परन्तु वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में समस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत नहीं कर दौराने बन्दोबस्त राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण खाता कायमी के आधार पर विवादित भूमि एवं उसके आधार पर वर्तमान में दर्ज भूमि का वाद प्रस्तुत किया है जिससे राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में विधिवत विभाजन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि कई खसरा भूमियां ऐसी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज हैं लेकिन वो वादीगण के नाम दर्ज है तथा कई खसरा भूमियां ऐसी हैं जिन पर वादीगण काबिज हैं लेकिन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार विधिक विभाजन किए जाने हेतु प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित कर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात का नये सिरे से प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र दिनांक 20.11.2019 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात ग्राम नूरियावास पटवार क्षेत्र नूरियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीचौलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है। खाता संख्या 55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.65 है0 व खाता संख्या 94 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 है0 है उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज हिस्से की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 05.07.2019 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 8, 9, 10/2 स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। शेष प्रतिवादीगण की तामील प्रोपर रूप से की गई। बावजूद तामील अनुपस्थित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.10.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नोटिस तामील की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रतिवादीगण को प्रकरण में उपस्थित होने के समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी प्रकरण में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध विधिसम्मत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में दिनांक 20.11.2019 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी पक्षकार का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है, प्रकरण में अंतिम डिक्री होना शेष है। अपीलांट के पास अंतिम डिक्री के समय आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय

यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर